संख्या-39/2021/आई/135977/41-1002(001)/1/2021 पार्ट(1)

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 28 जनवरी, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान सं0-44 के राजस्व मद के विभिन्न लेखाशीर्षों के अन्तर्गत हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5871/21-1-1(पुनर्विनियोग)नजा0-66/2021, दिनांक 21.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय के मानक मद-01-वेतन की अवशेष राशि में से विभिन्न मदों में कुल रू0 112.00 लाख (रू0 एक करोड़ बारह लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उल्लिखित प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 आय-व्ययक के अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय के मानक मद-01-वेतन मद में हो रही बचत से 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, 17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व, 49-चिकित्सा व्यय एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में कुल रू0 112.00 लाख (रू0 एक करोड़ बारह लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियम तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि की स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- आर-ई-320/2021, दिनांक 27.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन (नजारत), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।